न्यायालय : अति.मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सं. 1

राजगढ़, जिला– अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : नवीन कुमार झरवाल *(R.J.S.)*

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या : 23 / 283 / 2017

सी.आई.एस. नम्बर : 712 / 2017

एफआईआर सं. : 279 / 2017

पुलिस थाना : राजगढ़

राजस्थान सरकार बनाम नरपत सिंह

अपराध अंतर्गत धारा 91(6) राज. भू राजस्व अधि. 1956

भाग–1

अ

शिकायतकर्ता	श्री रामप्रताप
अधिवक्ता परिवादी	अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व विवरण	01. नरपत सिंह पुत्र हरिकिशन उम्र 42 साल निवासी सुरेर थाना राजगढ जिला अलवर
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री भगवती प्रसाद मीना

ब

अपराध की तारीख	19.07.2017
एफआईआर की दिनांक	19.07.2017
चालान पेश करने की दिनांक	**18.08.2017**
आरोप लगाने की दिनांक	09.02.2018
साक्ष्य अभियोजन प्रारंभ व समाप्ति	प्रारंभ दिनांकः– 26.06.2018 समाप्ति दिनांकः– 01.04.2026
दिनांक जिस पर निर्णय रिजर्व रखा गया	निल
निर्णय दिनांक	15.04.2016

सजा आदेश देने की दिनांक, यदि हो	15.04.2026

स

रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की दिनांक	जमानत पर रिहाई की दिनांक	आरोप धारा	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	सजा	धारा 428 दं.प्र.सं. के उद्देश्य के लिये अंवीक्षा के दौरान निरोध में गुजारी गयी अवधि
1.	नरपत सिंह	–	–	91(6) राज. भू राजस्व अधि. 1956	दोषसिद्ध		–

भाग–2

अभियोजन साक्ष्य एवं बचाव पक्ष के साक्षीगण की सूची

अ. अभियोजन साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण
पी. डब्ल्यू 01	रामप्रताप शर्मा	परिवादी, 161 सीआरपीसी बयान
पी. डब्ल्यू 02	अमरसिंह	161 सीआरपीसी बयान, नक्शा मौका साक्षी
पी. डब्ल्यू 03	मोहरपाल	161 सीआरपीसी बयान
पी. डब्ल्यू 04	रामावतार	161 सीआरपीसी बयान
पी. डब्ल्यू 05	विक्रम सिंह	नक्शा मौका साक्षी
पी. डब्ल्यू 06	ताराचंद	अनुसंधान अधिकारी

ब. बचाव साक्षीगण

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीगण
निल	निल	निल

अभियोजन व बचाव पक्ष के प्रदर्श की सूची

अ. अभियोजन पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1	प्रदर्श पी 01	रिपोर्ट पटवारी
2	प्रदर्श पी 02	नोटिस क्रमांक 171
3	प्रदर्श पी 03	पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण की रिपोर्ट
4	प्रदर्श पी–04	मौका रिपोर्ट
5	प्रदर्श पी–05	तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय
6	प्रदर्श पी–06	मूल आदेशिका
7	प्रदर्श पी–07	तहरीर रिपोर्ट
8	प्रदर्श पी–08	चाक एफआईआर
9	प्रदर्श पी–09	अपराध विवरण पत्र
10	प्रदर्श पी–10ए	जमाबंदी की प्रमाणित प्रति
11	प्रदर्श पी–11ए	नक्शा ट्रैस की प्रमाणित प्रति
12	प्रदर्श पी–12	161 बयान मोहरपाल
13	प्रदर्श पी–13	161 बयान रामावतार
14	प्रदर्श पी–14	नोटिस 41(ए)(3) सीआरपीसी
15	प्रदर्श पी–15	नोटिस क्रमांक 1397

ब. बचाव पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
निल	निल	निल

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांकः 15.04.2026</u>**

01. अभियोजन पक्ष की कहानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी रामप्रताप ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना राजगढ़ में इस आशय की दर्ज करवाई कि उन्हें पटवारी हल्का सुरेर से रिपोर्ट प्राप्त हुई कि नरपत पुत्र हरिकिशन ने सरकारी चारागाह की भूमि खसरा नंबर 1251 के रकबा 40.75 हैक्टेयर मे से 0.08 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर

अतिक्रमी को नोटिस जारी किया गया कि अतिक्रमी भूमि पर से अपना अतिक्रमण 15 दिवस में हटा ले। यदि निर्धारित अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956(6) के तहत दण्डित करने का प्रावधान है। अप्रार्थी नरपत पुत्र हरिकिशन ने अपना कोई जवाब पेश नहीं किया। पटवारी हल्का सुरेर ने पुनः अपनी रिपोर्ट इस आशय की दी कि अप्रार्थी नरपत पुत्र हरिकिशन ने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया है। इसलिए अप्रार्थी नरपत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956(6) के तहत अपराधी है।..... इत्यादि–इत्यादि।

इत्यादि रिपोर्ट पर पुलिस थाना राजगढ़ में एफ.आई.आर नं 279/2017 अन्तर्गत धारा **91(6) राज. भू राजस्व अधि. 1956** में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया व बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्व अपराध धारा **91(6) राज. भू राजस्व अधि. 1956** का आरोप पत्र दिनांक 18.08.2017 को न्यायालय में पेश किया।

02. अभियुक्त को दिनांक 09.02.2018 को धारा **91(6) राज. भू राजस्व अधि. 1956** के आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, अभियुक्त ने आरोप सुन व समझ कर आरोप अस्वीकार किये एवं अन्वीक्षा चाही।

03. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में पी. डब्ल्यू 01 लगायत 06 को परीक्षित करवाया।

अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श पी 01 लगायत 15 को प्रदर्शित करवाया गया।

04. अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत लेखबद्व किये गये जिसमें अभियुक्त ने साक्ष्य अभियोजन को गलत होना बताते हुये साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करना नहीं चाहा।

05. उपरोक्त बिंदुओं के संबंध में बहस करते हुए विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि पत्रावली पर मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग को समस्त युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है। अतः अभियुक्त को कठोर से कठोर दंड से दंडित किया जावे।

06. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा विद्वान अभियोजन अधिकारी की बहस का कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नही किया है।

गवाहान के बयानों में विरोधाभास है। अतः अभियुक्त का अपराध संदेह से परे प्रमाणित नही है, दोषमुक्त किया जावे।

07. बहस अंतिम सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

01– क्या अभियुक्त ने ग्राम सुरेर पुलिस थाना राजगढ स्थित आराजी खसरा नंबर 1251 कुल रकबा 40.75 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड चारागाह भूमि मे से 0.08 हैक्टेयर भूमि पर पक्का डण्डा बनाकर अतिक्रमण किया है। तहसीलदार राजगढ द्वारा अभियुक्त को 15 दिवस में अतिक्रमण हटाने बाबत् नोटिस क्रमांक 171 दिनांक 16.01.2017 दिया गया लेकिन उसके बावजूद अभियुक्त द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया ?

02 – यदि हां तो उसका उपयुक्त दण्ड क्या होगा ?

08. पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर आता है कि उक्त विचारणीय बिन्दूओं को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से कुल 06 गवाहान परीक्षित करवाये गये है।

09. यह प्रकरण रामप्रताप के द्वारा पुलिस थाना राजगढ़ में दी गई रिपोर्ट के आधार पर संस्थित हुआ है।

10. रामप्रताप ने इस आशय की रिपोर्ट दी कि उन्हें पटवारी हल्का सुरेर से रिपोर्ट प्राप्त हुई कि नरपत पुत्र हरिकिशन ने सरकारी चारागाह की भूमि खसरा नंबर 1251 के रकबा 40.75 हैक्टेयर मे से 0.08 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अतिक्रमी को नोटिस जारी किया गया कि अतिक्रमी भूमि पर से अपना अतिक्रमण 15 दिवस में हटा ले। यदि निर्धारित अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाया तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956(6) के तहत दण्डित करने का प्रावधान है। अप्रार्थी नरपत पुत्र हरिकिशन ने अपना कोई जवाब पेश नहीं किया। पटवारी हल्का सुरेर ने पुनः अपनी रिपोर्ट इस आशय की दी कि अप्रार्थी नरपत पुत्र हरिकिशन ने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया है। इसलिए अप्रार्थी नरपत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956(6) के तहत अपराधी है।..... इत्यादि–इत्यादि।

11. तहसीलदार राजगढ रामप्रताप के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है, उसको लेकर रामप्रताप न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू–1 के रूप में परीक्षित हुए हैं। इस गवाह की मुख्य परीक्षा का अवलोकन किया जाए तो गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया कि दिनांक 16.01.2017 को वे तहसीलदार के पद पर तहसील राजगढ में पदस्थापित थे। उन्हें पटवारी हलका सुरेर ने इस आशय की रिपोर्ट दी कि नरपत पुत्र हरिकिशन निवासी सुरेर ने ग्राम सुरेर में राजस्व रिकॉर्ड के खसरा नंबर 1251 गैर मुमकिन पहाड की कुल भूमि 40.75 हैक्टेयर में से 0.08 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। पक्का डण्डा करके नरपत खेती कर रहा है। पटवारी ने जो रिपोर्ट दी वह प्रदर्श पी–1 है। इस रिपोर्ट पर गवाह के द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 91(6) के तहत अतिक्रमी को 15 दिवस के भीतर अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस दिया था। यह नोटिस प्रदर्श पी–2 है। नोटिस की तामील अतिक्रमी के पुत्र विजेंद्र पर की गई थी। प्रदर्श पी–2 नोटिस की पुश्त पर प्राप्ती का नोट अंकित है तथा अतिक्रमी के पुत्र विजेंद्र के हस्ताक्षर हैं। उसके पश्चात् दिनांक 10.04.2017 को पटवारी हलका सुरेर अमरसिंह ने रिपोर्ट दी कि नोटिस की अतिक्रमी को तामील हो गई, परंतु उसके बावजूद भी अतिक्रमी ने गवाह को कोई जवाब नहीं दिया तथा अतिक्रमण बरकरार है। पटवारी हलका की दिनांक 10.04.2017 की रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 है। इस रिपोर्ट में कुल 20 व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किये जाने का अंकन है। जिसमें से क्रम सं. 15 पर अतिक्रमी नरपत का नाम अंकित है। नोटिस तामील होने के बावजूद भी अतिक्रमी नरपत ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिस पर पटवारी हलका ने मौके पर जाकर रिपोर्ट मुर्तिब की। यह रिपोर्ट दिनांक 24.04.2017 को गवाह के सामने पेश हुई। इस पर गवाह के द्वारा धारा 91(6) भू राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार की हैसियत से कार्यवाही शुरू की गई। अतिक्रमण पर नोटिस जारी हुआ। पटवारी हलका की रिपोर्ट ली, लेकिन अतिक्रमी कार्यवाही के दौरान उपस्थित नहीं हुआ। पटवारी हलका सुरेर अमरसिंह ने मौके की जो रिपोर्ट गवाह के सामने पेश की थी, वह प्रदर्श पी–4 है। इस रिपोर्ट में इस बात का स्पष्ट रूप से अंकन है कि अतिक्रमी नरपत ने अतिक्रमण नहीं हटाया। अतिक्रमी नरपत ने चारागाह की भूमि पर से अतिक्रमण नहीं हटाया तथा कब्जे के संबंध में भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। इस आधार पर गवाह ने दिनांक 25.04. 2017 को अतिक्रमी के खिलाफ 91(6) भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण पाये जाने पर एफआईआर दर्ज करने हेतु संबंधित थाने को रिपोर्ट दी। गवाह के द्वारा

सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण नहीं हटाने को लेकर जो निर्णय दिया गया था, वह प्रदर्श पी–5 है। निर्णय वाली संपूर्ण आदेशिका मूल प्रदर्श पी–6 है। एफआईआर दर्ज करवाने हेतु जो तहरीर एसएचओ को दी, वह प्रदर्श पी–7 है। एफआईआर प्रदर्श पी–8 है।

इस गवाह से अधिवक्ता मुलजिम द्वारा जिरह की गई। जिरह में गवाह ने बताया कि यह सही है कि प्रदर्श पी–1 पर गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। यह गवाह की जानकारी मे नहीं है कि अब वर्तमान में मौके पर नरपत का अतिक्रमण है या नहीं है। यह कहना गलत है कि राजनैतिक दबाव के चलते गवाह ने कार्यवाही की हो।

इस प्रकार प्रकरण में परीक्षित तहसीलदार रामप्रताप ने स्वयं के द्वारा कार्यवाही किये जाने के संबंध में विस्तृत रूप से साक्ष्य दी है। गवाह ने यह भी बताया कि उसने सारी कार्यवाही पटवारी हलका सुरेर अमरसिंह द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर की थी।

12. न्यायालय के समक्ष पटवारी हलका सुरेर अमरसिंह, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार राजगढ ने कार्यवाही की थी, को पी.डब्ल्यू–2 के रूप में परीक्षित कराया गया। गवाह ने अपनी साक्ष्य के दौरान बताया कि दिनांक 16.01.2017 को वह पटवारी हलका सुरेर के पद पर पदस्थापित थे। उस दिन खसरा संख्या 1251 कुल रकबा 40.75 की भूमि में से 0.08 हैक्टेयर की भूमि पर नरपत निवासी सुरेर ने अतिक्रमण पक्का डण्डा बनाकर कर रखा था। इसकी रिपोर्ट तहसीलदार राजगढ को पेश की। गवाह ने यह भी बताया कि खसरा नंबर 1251 की किस्म गैर मुमकिन पहाड (चारागाह) है। तहसीलदार को जो रिपोर्ट पेश की वह प्रदर्श पी–1 है, जिस पर गवाह के हस्ताक्षर है। तहसीलदार राजगढ के द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत चारागाह की भूमि पर अतिक्रमण होने से अतिक्रमी को 15 दिवस का अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस दिया गया। नोटिस क्रमांक 171–100 दिनांक 16.01.2017 को जारी किया गया था। साथ ही गवाह को अतिक्रमण हटाकार रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेशित किया गया था। नोटिस प्रदर्श पी–2 है, जिसकी पुश्त पर नोटिस प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर हैं। नोटिस प्राप्ति के बावजूद अतिक्रमी नरपत के द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। स्वयं गवाह मौके पर जांच करने के लिए दिनांक 21.04.2017 को गया था।

मौका रिपोर्ट गवाह के द्वारा मुर्तिब की गई थी, जो प्रदर्श पी–4 है। जिस पर गवाह व तहसीलदार के हस्ताक्षर हैं। मौके पर जाने पर गवाह ने पाया कि खसरा नंबर 1251 रकबा 40.75 हैक्टेयर गैर मुमकिन पहाड चारागाह की भूमि में से 0.08 हैक्टेयर की भूमि पर नरपत ने पक्का डण्डा बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। नरपत ने ना तो अतिक्रमण हटाया ना ही इस संबंध में कोई स्वामित्व का दस्तावेज पेश किया। इस रिपोर्ट पर तहसीलदार रामप्रताप ने कार्यवाही करके नरपत को अतिक्रमी मानकर दिनांक 25.04.2017 को निर्णय पारित किया तथा एफआईआर दर्ज करायी। दिनांक 24.04.2017 को भी गवाह पटवारी हलका सुरेर के पद पर पदस्थापित था। प्रकरण हाजा में पुलिस थाना राजगढ के अनुसंधान अधिकारी ताराचंद सीओ ने नरपत द्वारा किये गए अतिक्रमण का नक्शा मौका स्वयं गवाह की निशादेही से बनाया था, जो प्रदर्श पी–9 है, जिस पर गवाह के हस्ताक्षर हैं। खसरा सं.–1251 की मूल जमाबंदी प्रदर्श पी–10 तथा प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–10ए है। नक्शा ट्रैस मूल प्रदर्श पी–11 तथा प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–11ए है। जिस पर गवाह के ए से बी हस्ताक्षर मय सील हैं। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पूरा खसरा नंबर 1251 गैर मुमकिन पहाड (चारागाह) है।

इस गवाह से अधिवक्ता मुलजिम द्वारा जिरह की गई। जिरह में गवाह ने बताया कि नरपत को गवाह पटवारी हलका सुरेर के पद पर पदस्थापित होने के बाद से ही जानता है। खसरा नं 1251 का कुल रकबा 40.75 हैक्टेयर है तथा सारी भूमि चारागाह की है, वन विभाग की नहीं है। खसरा सं. 1251 में किस–किस के द्वारा अतिक्रमण किया गया है ? उन अतिक्रमियों के नाम गवाह को याद नहीं है, लेकिन अतिक्रमियों की सूची पत्रावली पर संलग्नित है। यह सही है कि खसरा संख्या 1251 की किस्म पर फसल वगैरह नहीं होती है। यह सही है कि खसरा संख्या 1251 पर लोगों ने पुराना रहवास कर रखा है तथा उन लोगों की गांव में खातेदारी की आराजी भी है। यह गवाह नहीं बता सकता है कि नरपत सिंह का बुजुर्गान के समय से रहवास है।

इस गवाह पी.डब्ल्यू–2 पटवारी हलका सुरेर, अमरसिंह की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो गवाह ने स्वयं के द्वारा मुर्तिब की गई रिपोर्ट तहसीलदार राजगढ को दिये जाने के कथन कहे हैं। गवाह ने यह बताया कि

नोटिस दिये जाने के बावजूद नरपत पुत्र हरिकिशन ने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया है।

13. न्यायालय के समक्ष मोहरपाल पी.डब्ल्यू–3 तथा रामावतार पी.डब्ल्यू–4 के रूप में परीक्षित हुए है। ये दोनों गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। इन दोनों ही गवाहों ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है तथा दोनों गवाहों ने पुलिस बयान क्रमशः प्रदर्श पी–12 व 13 का ए से बी भाग लिखने से इंकार किया है। लेकिन इन दोनों गवाहों ने यह जरूर स्वीकार किया है कि उनके गांव में चारागाह की बहुत सारी भूमि है।

14. न्यायालय के समक्ष अनुसंधान अधिकारी ताराचंद पी.डब्ल्यू–6 के रूप में परीक्षित हुए हैं। इस गवाह की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया कि दिनांक 19.07.2017 को सीओ राजगढ के पद पर पदस्थापित थे। मुकदमा सं.–279 / 17 पुलिस थाना राजगढ अंतर्गत धारा 91(6) भू राजस्व अधिनियम की पत्रावली अनुसंधान हेतु उन्हें प्राप्त हुई थी। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–7 है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–8 है। तहरीर रिपोर्ट मय दस्तावेज के प्राप्त हुई थी। दस्तावेज में, तहसीलदार द्वारा दिनांक 25.04.2017 को जो निर्णय पारित किया गया, की आदेशिका भी थी। अनुसंधान के क्रम में संपूर्ण गवाहों के बयानात उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये गए। दिनांक 24.07. 2017 को पटवारी हलका सुरेर अमरसिंह, विक्रम सिंह व अजय कुमार की मौजूदगी में घटनास्थल का नक्शा मौका कसीद किया गया, जो प्रदर्श पी–9 है। अलग से हालात मौका भी अंकित किया गया है। संपूर्ण अनुसंधान से मुलजिम नरपत के खिलाफ धारा 91(6) भू राजस्व अधिनियम के तहत अपराध प्रमाणित पाया गया। मुलजिम को धारा 41 सीआरपीसी का नोटिस दिया जो प्रदर्श पी–14 है। अनुसंधान के क्रम में खसरा संख्या 1251 का राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी, नक्शाट्रैस इत्यादि भी शामिल पत्रावली किये गए। तत्पश्चात् पत्रावली तत्समय के थानाधिकारी हनुमान लाल को सुपुर्द की।

इस गवाह से अधिवक्ता मुलजिम द्वारा जिरह की गई। जिरह में गवाह ने इस बात को स्वीकार किया है कि मौके पर तहसीलदार, राजगढ नहीं गए। यह कहना गलत है कि मुलजिम नरपत ने उक्त खसरा नंबर की चारागाह भूमि पर कोई कब्जा नहीं कर रखा हो, बल्कि मुलजिम ने बाढ लगाकर कब्जा

किया हुआ है। गवाह ने इस बात को गलत बताया कि तहसीलदार ने एफआईआर दर्ज करने से पहले अतिक्रमी को अतिक्रमण हटाने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया। यह कहना गलत है कि गवाह घटनास्थल पर नहीं गया हो तथा कार्यालय में बैठकर ही तमाम कार्यवाही की हो।

इस प्रकार अनुसंधान अधिकारी ने स्वयं के द्वारा संपूर्ण अनुसंधान किये जाने की साक्ष्य दी है। गवाह इस बात पर कायम रहा है कि उसने मौके पर जाकर कार्यवाही की।

15. नक्शे मौके के गवाह के रूप में विक्रम पी.डब्ल्यू–5 के रूप में परीक्षित हुआ है। गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया कि दिनांक 24.04.2017 को वह सीओ कार्यालय राजगढ में कॉन्स्टेबल के पद पर पदस्थापित था। मुकदमा सं. 279 / 17 के अनुसंधान अधिकारी ताराचंद आरपीएस नक्शा मौका की कार्यवाही हेतु ग्राम सुरेर गए थे। गवाह भी उनके साथ ग्राम सुरेर गया था। अतिक्रमण वाले स्थान की ताईद हलका पटवारी ग्राम सुरेर तहसील राजगढ, अमरसिंह के द्वारा की गई। नक्शा मौका प्रदर्श पी–9 है, जिस पर गवाह के हस्ताक्षर हैं। स्वयं गवाह के अलावा अजय व हलका पटवारी अमरसिंह के भी हस्ताक्षर हैं।

इस गवाह से अधिवक्ता मुलजिम द्वारा जिरह की गई, किंतु कोई खण्डनात्मक साक्ष्य जिरह के दौरान पत्रावली पर प्रकट नहीं हुई है।

16. प्रकरण में परीक्षित सभी गवाहों की साक्ष्य का अवलोकन किया गया। अभियोजन ने मुलजिम के विरुद्ध जो प्रकरण संस्थित कराया है तथा मुलजिम पर जो धाराएं अधिरोपित हैं; उसके संदर्भ में न्यायालय को मुख्य रूप से यह देखना है कि (1) क्या आराजी खसरा सं. 1251 रकबा 40.75 हैक्टेयर की किस्म गैर मुमकिन पहाड चारागाह की भूमि है ?

(2) क्या मुलजिम ने 0.08 हैक्टेयर भूमि पर डण्डा बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है ?

(3) क्या मुलजिम को उसका अतिक्रमण हटाने के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार नोटिस देकर कार्यवाही की गई ?

(4) क्या बावजूद नोटिस के अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया ?

(1) क्या आराजी खसरा सं. 1251 रकबा 40.75 हैक्टेयर की किस्म गैर मुमकिन पहाड चारागाह की भूमि है ?

इस संदर्भ में जो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, का अवलोकन किया जावे तो प्रकरण में परीक्षित मुख्य साक्षी पी.डब्ल्यू–1 रामप्रताप, पी.डब्ल्यू–2 अमरसिंह तथा पी.डब्ल्यू–6 ताराचंद ने अपनी साक्ष्य के दौरान यह बताया है कि आराजी खसरा सं. 1251 कुल रकबा 40.75 हैक्टेयर की भूमि गैर मुमकिन पहाड चारागाह की भूमि है। गवाह पी.डब्ल्यू–2 अमरसिंह ने अपनी साक्ष्य के दौरान आराजी खसरा संख्या 1251 सम्वत् 2072–2075 मूल जमाबंदी को प्रदर्श पी–10 तथा जमाबंदी की प्रमाणित प्रति को प्रदर्श पी–10ए के रूप में प्रदर्शित कराया है तथा इस पर गवाह के ए से बी मय सील हस्ताक्षर हैं। गवाह ने अपनी साक्ष्य के दौरान यह भी कथन किया है कि नक्शाट्रैस मूल प्रदर्श पी–11 तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–11ए है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पूरा खसरा 1251 गैर मुमकिन पहाड चारागाह खाते में दर्ज है। गवाह पी.डब्ल्यू–6 ताराचंद ने भी अपनी साक्ष्य के दौरान कथन किया है कि अपने अनुसंधान में उसने सुरेर खसरा सं. 1251 का राजस्व रिकॉर्ड, जमाबंदी, नक्शाट्रैस इत्यादि को प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया था।

पत्रावली पर जो गवाह पी.डब्ल्यू–2 अमरसिंह परीक्षित हुए हैं, उनकी साक्ष्य के दौरान जो जमाबंदी का दस्तावेजात प्रदर्शित कराया गया है, उसका अवलोकन किया जावे तो जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–10ए सम्वत् 2072–75 की है, जिसमें खसरा सं. 1251 रकबा 40.75 दर्शाया हुआ है। इस भूमि की किस्म गैर मुमकिन पहाड है तथा यह भूमि चारागाह की भूमि के रूप में दर्शित की हुई है। जमाबंदी प्रदर्श पी–10ए का दस्तावेज पटवारी, पटवार मण्डल सुरेर, तहसील राजगढ के द्वारा हस्ताक्षरित करके प्रस्तुत किया गया है। इस दस्तावेज पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण पत्रावली पर मौजूद नहीं है ना ही इससे कोई विपरीत स्थिति मुलजिम पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत की गई है। इससे यह स्पष्ट है कि खसरा सं. 1251 की भूमि गैर मुमकिन पहाड, (चारागाह) की भूमि है।

(2) क्या मुलजिम ने 0.08 हैक्टेयर भूमि पर डण्डा बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है ? (3) मुलजिम को उसका अतिक्रमण हटाने के लिए संबंधित

प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार नोटिस देकर कार्यवाही की गई ? (4) बावजूद नोटिस के अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया ?

इन बिंदुओं के संदर्भ में पत्रावली पर आई दस्तावेजीय एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो परीक्षित मुख्य गवाह पी.डब्ल्यू–1 रामप्रताप, पी. डब्ल्यू–2 अमरसिंह तथा पी.डब्ल्यू–6 ताराचंद ने यह साक्ष्य दी है कि मुलजिम नरपत सिंह पुत्र हरिकिशन ने खसरा सं. 1251 की 0.08 हैक्टेयर भूमि पर पक्का डण्डा बनाकर अतिक्रमण कर रखा था। गवाह पी.डब्ल्यू–1 रामप्रताप ने जो नरपत के द्वारा अतिक्रमण करने को लेकर कथन किये हैं, वह गवाह पी.डब्ल्यू–2 अमरसिंह की रिपोर्ट के आधार पर किये हैं। अमरसिंह ने जो रिपोर्ट रामप्रताप को दी थी, उस रिपोर्ट को रामप्रताप तथा गवाह अमरसिंह ने अपनी साक्ष्य के दौरान प्रदर्श पी–1 के रूप में प्रदर्शित कराया है। इस रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 का अवलोकन किया जावे तो यह पटवारी हलका ग्राम सुरेर के द्वारा तहसीलदार राजगढ को दी गई रिपोर्ट है, जिसमें इस बात का स्पष्ट रूप से अंकन है कि नरपत पुत्र हरिकिशन ने खसरा सं. 1251 के कुल रकबा 40.75 हैक्टेयर की भूमि में से 0.08 हैक्टेयर की भूमि पर पक्का डण्डा करके कब्जा किया हुआ है। इस प्रकार यह रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 नरपत पुत्र हरिकिशन के कब्जे के संबध में प्रस्तुत की गई दस्तावेजी साक्ष्य है।

इस रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 के आने के पश्चात् नरपत सिंह को नोटिस दिये जाने के कथन पी.डब्ल्यू–1 रामप्रताप, पी.डब्ल्यू–2 अमरसिंह इसी तरह अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू–6 ताराचंद ने भी कहे हैं। जो नोटिस नरपत सिंह को तहसीलदार महोदय के द्वारा दिया गया था, उस नोटिस की प्रति को साक्ष्य अभियोजन के दौरान प्रदर्श पी–2 के रूप में प्रदर्शित कराया गया है। इस प्रदर्श पी–2 का अवलोकन किया जावे तो यह नोटिस कार्यालय तहसील एवं कार्यपालक राजगढ के कार्यालय से दिनांक 16.01.2017 को जारी हुआ था। यह नोटिस तहसीलदार एवं कार्यपालिका राजगढ के द्वारा हस्ताक्षरित है। यह नोटिस नरपत पुत्र हरिकिशन को दिया गया था तथा यह नोटिस खसरा सं. 1251 चारागाह की भूमि पर 0.08 हैक्टेयर पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने को लेकर दिया गया है तथा इसमें यह भी सूचना दी गई थी कि 15 दिन के भीतर कब्जा हटाकर रिपोर्ट तहसीलदार कार्यालय में प्रस्तुत करे, अन्यथा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(6) के तहत कार्यवाही कर संबंधित थाने में

मुकदमा दर्ज करवाया जायेगा। यह नोटिस विजेंद्र पुत्र नरपत को दिया गया था। विजेंद्र नरपत का पुत्र है। विजेंद्र को नोटिस प्राप्त नहीं हुआ हो, इसको लेकर कोई विरोधाभासी स्थिति मुलजिम पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है।

नरपत को नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् तहसीलदार के द्वारा रिपोर्ट पटवारी हलका सुरेर से मंगवाई गई थी। जो रिपोर्ट पश्चात्वर्ती क्रम में पटवारी हलका सुरेर के द्वारा दी गई थी, उस रिपोर्ट को गवाह पी.डब्ल्यू–1 रामप्रताप व पी.डब्ल्यू–2 अमरसिंह की साक्ष्य के दौरान प्रदर्श पी–3 के रूप में प्रदर्शित कराया गया है। प्रदर्श पी–3 का अवलोकन किया जावे तो इस रिपोर्ट में इस बात का अंकन है कि तहसीलदार के आदेश क्रमांक 247 दिनांक 06.02.2017 की अनुपालना में ग्राम सुरेर में अतिक्रमियों के बारे में रिपोर्ट दी गई तथा उसमें उन–उन व्यक्तियों के नाम विहित किये गए हैं, जिनके द्वारा अतिक्रमण हटाया गया था या नहीं ? इस सूची में क्रम सं. 15 पर इस बात का अंकन है कि नरपत पुत्र हरिकिशन ने खसरा सं. 1251 की भूमि में से 0.08 हैक्टेयर पर से अतिक्रमण नहीं हटाया था। इस रिपोर्ट से भी विपरीत स्थिति मुलजिम पक्ष के अधिवक्ता ने प्रस्तुत नहीं की है। इसलिए रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 पर भी अविश्वास किसे जाने का कोई कारण पत्रावली पर मौजूद नहीं है। यह रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 दिनांक 10.04.2017 की है।

रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 के पश्चात् पटवारी हलका सुरेर के द्वारा मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट मुर्तिब की गई थी। जो मौका रिपोर्ट मुर्तिब की गई थी, उसे गवाह पी.डब्ल्यू–1 रामप्रताप तथा पी.डब्ल्यू–2 अमरसिंह ने अपनी साक्ष्य के दौरान प्रदर्श पी–4 के रूप में प्रदर्शित कराया। प्रदर्श पी–4 का अवलोकन किया जावे तो इसमें इस बात का अंकन है कि दिनांक 21.04.2017 को तहसीलदार साहब, राजगढ के आदेश क्रमांक 247 दिनांक 06.02.2017 की पालना में आराजी खसरा नं. 1251 के कुल रकबा 40.75 हैक्टेयर में से 0.08 हैक्टेयर पर अतिक्रमी नरपत द्वारा अतिक्रमण हटाने की जांच हेतु पटवारी हलका सुरेर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि अतिक्रमी के द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 पटवारी हलका सुरेर द्वारा अपने लोक कर्तव्यों के निर्वहन में मुर्तिब की गई थी, जिस पर भी अविश्वास का कोई कारण न्यायालय के समक्ष मौजूद नहीं है। इस रिपोर्ट की प्राप्ति पर तहसीलदार राजगढ रामप्रताप के द्वारा यह पाया गया कि

मौके पर से अतिक्रमी नरपत सिंह पुत्र हरिकिशन ने अतिक्रमण नहीं हटाया है। अतिक्रमी को कब्जे के विधिक होने को लेकर दस्तावेज पेश करने का समय दिया गया, परंतु अतिक्रमी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। जिस पर रामप्रताप तहसीलदार ने दिनांक 25.04.2017 को अतिक्रमी के विरुद्ध निर्णय पारित करते हुए एफआईआर दर्ज करवायी जाना उचित माना। अतिक्रमी के द्वारा अतिक्रमण करने को लेकर मौके के संदर्भ में पत्रावली पर नक्शा मौका संलग्नित है।

नक्शा मौका प्रदर्श पी–9 का अवलोकन किया जावे तो इसमें इस बात का स्पष्ट रूप से अंकन है कि एक्स स्थान पर कब्जा नरपत ने बाढ लगाकर किया हुआ है। इस नक्शा मौका प्रदर्श पी–9 को गवाह पी.डब्ल्यू–6 ताराचंद तथा पी.डब्ल्यू–5 विक्रम ने अपनी साक्ष्य के दौरान प्रदर्शित करवाया है। यह नक्शा मौका प्रदर्श पी–9 मुकदमा सं. 279/17 के अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुर्तिब किया गया था। यह नक्शा मौका गवाह पी.डब्ल्यू–2 अमरसिंह की निशादेही से मुर्तिब किया गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नरपत सिंह ने खसरा नं. 1251 के कुल रकबा 40.75 हैक्टेयर की भूमि में से 0.08 हैक्टेयर की भूमि में बाढ लगाकर कब्जा किया हुआ है।

मुलजिम नरपत पुत्र हरिकिशन का कब्जा विधिक कब्जा है, इसको लेकर कोई भी साक्ष्य तहसीलदार महोदय के समक्ष मुलजिम ने पेश नहीं की ना ही तहसीलदार महोदय के द्वारा जो निर्णय दिनांक 25.04.2017 को एकपक्षीय रूप से पारित किया गया था, उसे किसी भी सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में चुनौती दी है। यहां यह भी प्रमुख तथ्य है कि मुलजिम का खसरा सं. 1251 के 0.08 हैक्टेयर भूमि पर कब्जा विधिक हो, इसके संदर्भ में न्यायालय हाजा में भी विचारण के दौरान कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। इसलिए यह स्पष्ट है कि मुलजिम नरपत पुत्र हरिकिशन ने खसरा सं. 1251 के कुल रकबा 40.75 हैक्टेयर की भूमि में से 0.08 हैक्टेयर की भूमि पर पक्का डण्डा बनाकर अतिक्रमण किया है तथा मुलजिम ने जो अतिक्रमण किया है, वह गैर मुमकिन पहाड (चारागाह) की भूमि पर किया है, जिसका नरपत को कोई वैध अधिकार नहीं था। मुलजिम को नोटिस प्राप्त होने के बावजूद भी उसके द्वारा अपना कब्जा नहीं हटाया गया। इसलिए मुलजिम नरपत का कृत्य राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(6) की तारीफ में आता है। **लिहाजा मुलजिम के**

विरुद्ध धारा 91(6) राज. भू राजस्व अधि. 1956 का अपराध संदेह से परे प्रमाणित है।

:: **आदेश ::**

17. अतः अभियुक्त **01. नरपत सिंह पुत्र हरिकिशन उम्र 42 साल निवासी सुरेर थाना राजगढ जिला अलवर राजस्थान** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **91(6) राज. भू राजस्व अधि. 1956** के आरोप में **दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है।

(नवीन कुमार झरवाल)

''**सजा के बिन्दू को सुना गया**''

18. मुलजिम की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मुलजिम अपने घर परिवार में एकमात्र खाने कमाने वाले है। मुलजिम के पारिवारिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जावे।

इसके विरोध में अभियोजन अधिकारी का कथन रहा है कि मुलजिम पर आरोपित अपराध गंभीर है। इसलिए परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जावे।

19. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मुलजिम पर धारा **91(6) राज. भू राजस्व अधि. 1956** का आरोप अधिरोपित है। यह मामला सरकारी भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित है। इसलिए ऐसे मामलों परीविक्षा का लाभ दिया गया तो इससे सरकारी भूमियों पर अतिक्रमण करने वालों को बढावा मिलेगा। इसलिए अपराध की गंभीरता को मध्यनजर रखते हुये परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

लेकिन पत्रावली पर यह स्थिति स्पष्ट है कि मुलजिम की उम्र तकरीबन 50 वर्ष से अधिक है। मुलजिम मस्तिष्क की गंभीर बीमारियों से पीडित है तथा वर्तमान में जैर इलाजरत है। मुलजिम अपने परिवार का वयस्क बुजुर्ग व्यक्ति है। मुलजिम काफी वर्षों से अनवीक्षा में है। इसलिए इन उक्त तमाम परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए न्यायालय निम्नानुसार दण्ड देना उचित मानता है।

:: दंडादेश ::

20. अतः अभियुक्त **01. नरपत सिंह पुत्र हरिकिशन उम्र 42 साल निवासी सुरेर थाना राजगढ जिला अलवर राजस्थान** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **91(6) राज. भू राजस्व अधि. 1956** के आरोप में **दोषसिद्ध** घोषित किये जाने पर निम्न प्रकार से दण्डित किया जाता हैः–

धारा 91(6) राज. भू राजस्व अधि. 1956 में दोषसिद्ध किये जाने पर न्यायालय उठने तक कारावास तथा 8000/– रुपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त 07 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

21. अतः अभियुक्त को धारा 437ए द.प्र.सं. 1973 के प्रावधानानुसार इस निर्णय के विरूद्ध दाखिल अपीलीय न्यायालय से नोटिस प्राप्त होने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के संबंध में दस हजार रुपये की राशि की प्रतिभू सहित जमानत बंध पत्र पेश करने के आदेश भी दिये जाते हैं। उक्त जमानत बंध पत्र छः मास तक प्रवृत रहेगा। जो आदेशानुसार जमा करवाये गये। अभियुक्त द्वारा नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत प्रतिभू–पत्र एवं बंध पत्र निरस्त किये जाते है।

22. अभियुक्त द्वारा पुलिस न्यायिक अभिरक्षा व न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि धारा 428 द.प्र.सं. के प्रावधाननुसार मूल सजा में से समायोजित की जायेगी। नियमानुसार सजा वारंट तैयार हो।

(नवीन कुमार झरवाल)

23. निर्णय व आदेश आज दिनांक 15.04.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(नवीन कुमार झरवाल)